5

कार्यालय भू–अर्जन अधिकारी,एंव भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

क्रमांक– 1201 / री –2 / भू. अ. / 15 खण्डवा दिनांक– 28 / 08 / 2015

प्रति,

निरंत्रक
केन्दीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिा 11(1)" के तहत **सार्वजनिक सूचना** का म. प्र. राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत् । प्रकरण कमांक **02 / अ–82 / 14–15** ग्राम **रांजनी** तहसील **खण्डवा**

----00----

"**आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिा 11(1)**" के तहत **सार्वजनिक सूचना** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। **कलेक्टर जिला खण्डवा** द्वारा हस्ताक्षरित **सार्वजनिक सूचना** की दो प्रतियां आप की ओर भेजी जा रही हे।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी एंव
भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

पृ.क्रमांक– 1202 / री –2 / भू. अ. / 15 खण्डवा दिनांक– 28 / 08 / 2015

प्रतिलिपि–

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. की ओर **सार्वजनिक सूचना** की चार प्रतियां भेजकर निवेदन हे कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले समाचार पत्र (1) पत्रिका (2) दैनिक भास्कर (3) चौथा संसार (4) नई दुनिया (5) राज एक्सप्रेस (6) नव भारत (7) स्वदेश।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **सार्वजनिक सूचना** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
3. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस मे वापिस भिजवाने की व्यवस्था करे।
   1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड 2. एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड 3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत **रांजनी** नोटीस बोर्ड
4. संबंधित कार्यालय संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम लि. संभाग क. 2 इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं गजट तथा पेपर प्रकाशन प्रति संकलित कर पेश करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी एंव
भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

D:\...\Kundan Madhuban.doc

कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/ 1196 /भू–अर्जन/2015 खण्डवा, दिनांक 25 /08/2015

// सार्वजनिक सूचना //

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12–2–2014–सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार व्दारा निजी भू–धारकों की ''आपसी सहमति से भूमि कय नीति'' जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम **म0प्र0सड़क विकास निगम लिमिटेड** को आशापुर–,खालवा–सिंगोटएम.डी.आर.मार्ग निर्माण में आने वाली ग्राम रांजनी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू–स्वामी/भू–स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका–10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका–11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं.–121 . ग्राम–रांजनी, क्षेत्रफल रकबा 0.30 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नम्बर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य सम्पत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7
1	नानकदास पिता रामाजी निवासी सिंगोट	176/2	-	0.15	0.15	
2	हरकचंद पिता गजबलाल वगैरा निवासी भगवानपुर	193	-	0.15	0.15	
	योग			**0.30**	**0.30**	

(एम.के.अग्रवाल)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा